NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Lok Nayak Bhawan, New Delhi

PS-CPNCST/ Sitting Minuets Ranchi / May2015 28/5/2015

Subject : Minuets of the Sittings taken by Dr Rameshwar Oraon , Honorable Chairperson, NCST at Ranchi on 5/5/2015 and 6/5/2015

Minuets of the sittings duly signed by the Honorable Chairperson , NCST in respect of following cases are sent herewith for necessary action of the NCST Secretariat .

714/CP/2015
29/5

1) Duping of PVTGs of Village Skhuapani , Bishunpur block, Gumla (File No. Tour Programme /5 /2014 /RUIII).
2) Shri Binay Kumar Khalko & Others . (File No. BKK/9/2014/MCOLJ /SEOTH /RUIII)
3) Dr Sunil Oraon & Others , (File No. SO/3/2012/STJH/SEOTH-RUIII)
4) Shri Gondra Oraon , village Sarna Toli , District Gumla, Jharkhand (File No. GO/1/2013/STGUL/DEOTH/RUIII)
5) Contesting of election of Chairman Nagar, Panchayat Gumla , by Shri Dhirendar Prasad Singh on the basis of fake ST Certificate (File No. Tour FCC/1/2013/Jharkhand/RU-III)

(T D Kukreja)
PS to Chairperson

Joint Secretary, NCST

29.5.15

Copy to NCST Regional Office Ranchi .

Dir (B)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
<u>राँची क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड</u>

(फाइल सं0 **BKK/9/2014/MCOLJ/SEOTH/RU-III)**
विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में दिनांक 06.05.2015 को श्री विनय कुमार खलखो एवं अन्य के मामले में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1) **अध्यक्षता :** डा0 रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

2) **मामला :** अनुसूचित जनजातियों की जमीन की अवाप्ति पर क्षतिपूर्ति का भुगतान एवं सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), झारखण्ड में रोजगार तथा सीसीएल के अधिकारियों के साथ सांठगांठ से जाली दस्तावेजों द्वारा बाहरी लोगों द्वारा षड्यंत्र की योजना बनाने के संबंध में।

3) **उपस्थिति :** (i) श्री इन्द्रदेव मण्डल, ए.डी.एम. चतरा, झारखण्ड।
(ii) श्री विनय कुमार खलखो एवं अन्य आवेदक।

4) **प्रगति/की गई कार्रवाई :** श्री विनय कुमार और अन्य ने प्रस्तुतीकरण दिया है कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ने उनकी जमीन के टुकड़े को अवाप्त करते समय न तो क्षतिपूर्ति दी और न ही रोजगार उपलब्ध करवाया। श्री विनय कुमार खलखो और अन्य के अभ्यावेदन के आधार पर मामले को सीसीएल के साथ उठाया गया। सीसीएल ने उत्तर में दिनांक 21.11.2014 के अपने पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि उसी जमीन के भूखण्डों के लिए दावों के कुछ मामले अलग–अलग पक्षों द्वारा उठाए गए, अतः दस्तावेजों की सत्यता एवं मामले की सत्यता के प्रमाणीकरण के लिए मामले को उपायुक्त, जिला–चतरा को भेजा गया है। इस मामले में प्रमाणीकरण की कार्रवाई को शीघ्रता से निपटाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में दिनांक 28.01.2015 को एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक के दौरान एडीएम, चतरा ने सूचित किया कि वे शिकायतों के प्रमाणीकरण के कार्य को पूरा नहीं कर पाये क्योंकि वे चुनाव कार्य आदि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे। इस पर आयोग ने समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने और दिनांक 15.03.2015 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तथापि उपायुक्त से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में दिनांक 06.05.2015 को सुनवाई के लिए एक और बैठक आयोजित करना निर्धारित किया गया।

5) **दिनांक 06.05.2015 को आयोजित सुनवाई के दौरान आकलन/निष्कर्ष :**
(i) एडीएम, चतरा ने 29 मामलों के संबंध में प्रमाणीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की जो अनुबंध I पर संलग्न है। रिपोर्ट बताती है कि क्रम सं0 1 से 27 तक सूचीबद्ध जमीनों के मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में उक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम में रजिस्ट्रेशन मौजूद है।

रामेश्वर उरांव
डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

अभ्यावेदकों ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि रिपोर्ट की क्रम सं0 28 से 29 तक सूचीबद्ध व्यक्ति कुटकी गांव के निवासी नहीं है।

(ii) आवेदक के द्वारा बताया गया कि सी0सी0एल0 द्वारा अधिग्रहण होने पर सभी रैयतों भूमिहीन हो जाएगें। उन्होनें ये भी बताया कि वे वन भूमि में पूर्वजों के काल से बसे हुए है लेकिन अभी तक पट्टा नहीं मिला है।

(iii) उपायुक्त, चतरा के प्रतिनिधि ए.डी.एम. श्री मंडल को बताया गया कि आदिवासी रैयतों को, जो भूमिही हो रहे है, उनके पुर्नवास की व्यवस्था हो। जिला प्रशासन पुर्नवास की क्या व्यवस्था कर रही है, से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा आयोग को भेजें।

6) **मामले में आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश :**

(i) यह निर्देश दिया गया कि सूची की क्रम सं0 1 से 27 तक सूचीबद्ध जमीन के मूल स्वामियों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ii) आगे, यह निर्देश दिया गया कि झारखण्ड सरकार की पुलिस द्वारा मामले की जांच के लिए सिफारिश करने की आवश्यकता है कि जो लोग जमीन के स्वामी नहीं हैं उनके नाम, रिकॉर्ड में अनुबंध I पर क्रम सं0 28 और 29 पर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज थे। यह भी जब कि ये इस गांव के रहने वाले नहीं हैं, तो सरकारी जमीन इनके नाम से कैसे बन्दोबस्त की गई है।

(iii) ए.डी.एम. श्री मंडल ने आश्वास्त किया कि वन अधिकार कानून के तहत जिला प्रशासन शीघ्र कार्रवाई कर आयोग को सूचित करेगा।

रामेश्वर उरांव

(डा0 रामेश्वर उरांव)
अध्यक्ष

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
<u>राँची क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड</u>

(फाइल सं० **SO/3/2012/STJH/SEOTH/RU-III)**

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में दिनांक 05.05.2015 को डॉ. सुनील उरांव एवं अन्य के मामले में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1) **अध्यक्षता :** डा0 रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

2) **अभ्यावेदक :** डॉ. सुनील उरांव एवं अन्य

3) **उपस्थितिः**

(i) श्री के. विद्यासागर, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, झारखण्ड सरकार

(ii) श्री रमेश कुमार दुबे, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, झारखण्ड सरकार

(iii) श्री अरूण कुमार सिंह, उप सचिव, वित्त, झारखण्ड सरकार

4) **मामले का सार :** डॉ. सुनील उरांव एवं अन्य ने वेतन निर्धारण में अनियमितता के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने अभ्यावेदकों की शिकायत का निवारण करने के लिए मामले को स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग के साथ उठाया।

5) **प्रगति/की गई कार्रवाई:**

(i) दिनांक 05.05.2015 को आयोजित बैठक के दौरान यह सूचित किया गया कि इस मुद्दे को अभ्यावेदकों की संतुष्टि के साथ निपटा लिया गया है और इस संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी आदेश, दिनांक 07.04.2015 की प्रतिलिपि के साथ प्रधान सचिव, वित्त, झारखण्ड सरकार के पत्र दिनांक 05.05.2015 की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई जो दिनांक 15.11.2000 से उच्चतर वेतनमान उपलब्ध करवाने का प्रावधान करती है।

(ii) यह सूचित किया गया था कि झारखण्ड सरकार का आदेश, वेतन पर्ची जारी करने के लिए, ए.जी. झारखण्ड को भेज दिया गया है।

इस पर अध्यक्ष ने अभ्यावेदकों की शिकायत का, उनकी संतुष्टि के साथ निवारण करने में, झारखण्ड सरकार के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।

6) **क्योंकि झारखण्ड राज्य सरकार ने अपने उक्त कथित आदेश को वेतन पर्ची जारी करने के लिए ए.जी. झारखण्ड को भेजा है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली को, मामले की शीघ्र निपटान के लिए, ए.जी. झारखण्ड को सलाह देनी चाहिए।**

रामेश्वर 13/5/15

(डा0 रामेश्वर उरांव)
अध्यक्ष

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
लोकनायक भवन, नई दिल्ली

फाईल संख्याः- जी.ओ./1/2013/एस.टी.जी.यू.एल./डी.ई.ओ.टी.एच/आर.यु.-III

विषयः आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में श्री गोंदरा उरांव, ग्राम सरना टोली, जिला गुमला, झारखण्ड के मामलें में दिनांक 05/05/2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही ।

1) अध्यक्षताः डा. रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ।
2) अभ्यावेदकः श्री गोन्दरा उराँव, ग्राम सरना टोली, जिला गुमला, झारखण्ड ।
3) उपस्थितिः
4) मामले का सारः

मामले में, श्री गोन्दरा उराँव की जमीन कृषि विभाग के लिए अधिग्रहणित हुई है या नहीं और यदि अधिग्रहणित हुई है तो इस एवज में जमीन के मुआवजों का भुगतान हुआ है या नहीं की पुछताछ के लिए दिनांक 2/1/2015 को एक बैठक आयोजित की गई । कथित सुनवाई के दौरान उपायुक्त ने सूचित किया कि चूंकि जमीन मामला वर्ष 1957 का है इसलिए संभवतः मामले से संबंधित दस्तावेज बिहार सरकार (झारखण्ड पूर्ववर्ती बिहार राज्य का एक भाग था) के पास हो सकते है । तथ्यों को प्राप्त करने के लिए, उपायुक्त, गुमला ने आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो माह का समय मांगा । तथापि, आयोग को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिससे कि मामलें में दूसरी बैठक की करने की आवश्यकता हुई ।

उपायुक्त, गुमला विधि व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सकें । और न ही इस संबंध में कोई प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उपायुक्त, गुमला को प्रतिवेदन शीघ्र देने हेतु स्मरण पत्र भेजें ।

रामेश्वर उराँव

(डा. रामेश्वर उराँव)
अध्यक्ष

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
रॉंची क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड

(फाइल सं0 Tour FCC/1/2013/Jharkhand/RU-III)

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में नकली अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर श्री धीरेन्दर प्रसाद सिंह द्वारा अध्यक्ष, नगर पंचायत, गुमला का चुनाव लड़ने के मामले में दिनांक 06.05.2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1) **अध्यक्षता :** डा0 रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

2) **उपस्थिति :**

3) **मामले का सार :**

(i) श्री धीरेन्दर प्रसाद सिंह पुत्र श्री युधिष्टर प्रसाद सिंह के विरूद्ध नकली अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र के आधार पर 2013 में अध्यक्ष, नगर पंचायत, गुमला का चुनाव लड़ने के लिए आयोग में शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ii) आयोग द्वारा मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया।

(iii) उपायुक्त, गुमला द्वारा मामले की जांच की निष्कर्ष रिपोर्ट दिनांक 25.03.2015 (प्रतिलिपि संलग्न) अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख करती हैं कि श्री धीरेन्दर प्रसाद सिंह अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं, अतः श्री धीरेन्दर ने कपटपूर्वक अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और नकली प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने (श्री धीरेन्दर ने) अध्यक्ष, नगर पंचायत, गुमला का चुनाव लड़ा और चुनाव में विजयी हुए।

(iv) उपायुक्त ने अपने पत्र दिनांक 30.03.2015 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा राज्य चुनाव आयोग, झारखण्ड को अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया कि क्योंकि यह स्थापित था कि श्री धीरेन्दर प्रसाद सिंह ने झूठे/नकली अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा और विजयी हुए थे, अतः अध्यक्ष नगर पंचायत, गुमला के रूप में उनके द्वारा कार्य करने पर स्थगन के लिए आदेश जारी किया गया और संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दाखिल की गई।

(v) कार्यकारी अधिकारी, गुमला नगर पंचायत ने अपने पत्र दिनांक 31.03.2015 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा उपायुक्त, गुमला को रिपोर्ट दी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दाखिल करने के लिए उनके द्वारा दिनांक 30.03.2015 के पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से आदेश दिया गया है।

(vi) उपायुक्त ने अपने नोट दिनांक 02.05.2015 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग को सूचित किया कि श्री धीरेन्द्र के नाम से जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया गया है और उपायुक्त, हजारीबाग तथा उपायुक्त, बोकारो को नकली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी केरेदारी, हजारीबाग के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया।

रामेश्वर 3/6/15

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

4) **सुनवाई के दौरान मामले पर निर्देश :**

क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419/420/467/468/471 के अधीन पुलिस में मामला (संख्या 140/15 दिनांक 30.03.2015) दर्ज किया गया है अतः संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी श्री धीरेन्दर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जानी आवश्यक थी। पुलिस अधीक्षक गुमला से इस संबंध में प्रगति प्रतिवेदन की मांग की जाए।

रामेश्वर उरांव

(डा0 रामेश्वर उराँव)
अध्यक्ष

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
राँची क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड

फाईल सं. टूर प्रोग्राम/5/2014/आर.यू.- III

विषयः गाँव सखुआपानी, विष्णुपुर ब्लॉक, गुमला के आदिम संवेदनशील जनजातीय समूह के साथ छल–कपट करने के मामले में दिनांक 5/5/2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. **अध्यक्षता** : डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
2. **उपस्थिति** : (क) श्री रवि शंकर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गुमला।
   (ख) श्री महिन्द्र कुमार मंडल, उप पुलिस निरीक्षक, गुमला।
3. **मामले का सार :**

(I) बीमा एंजेंटो द्वारा गांव सखुआपानी, विष्णुपुर ब्लॉक, गुमला झारखंड के असुर समुदाय के आदिम संवेदनशील जनजातीय समूह को मूर्ख बनाने का मामला, अध्यक्ष महोदय को दिनांक 1/10/2014 को उनके गुमला दौरे के दौरान सूचित किया गया।

(II) अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने अ.शा. पत्र दिनांक 15/10/2014 के द्वारा पूर्वोक्त घटना को उपायुक्त, गुमला तथा पुलिस अधीक्षक, गुमला को सूचित करते हुए जांच करने के लिए दिनांक 21/10/2014 को घटनास्थल पर उनके साथ जाने को कहा।

(III) दिनांक 21/10/2014 को अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और ब्लॉक उपप्रभागीय अधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल (गाँव सखुआपानी) का दौरा किया।

(IV) दिनांक 21/10/2014 को आयोग के दौरे के प्रारंभिक निष्कर्ष, अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके अ.शा. पत्र दिनांक 8/12/2014 द्वारा उपायुक्त, गुमला और पुलिस अधीक्षक, गुमला को सूचित किए गए।

(V) विष्णुपुर ब्लॉक के आदिम संवेदनशील जनजातीय समूहों के साथ बीमा कम्पनियों के एजेंटो द्वारा छल–कपट करने के मामले पर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा जांच की प्रगति तथा की गई कार्रवाई इत्यादि, उनके भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़े के रूप में उन लोगों को प्राप्त उनकी धनराशि की समीक्षा करने के लिए दिनांक 5/5/2015 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में एक बैठक आयोजित की गई।

4. **प्रगति/अवलोकन/निष्कर्ष इत्यादि :**

(I) सूचना अनुसार उपायुक्त, गुमला तथा पुलिस अधीक्षक, गुमला बैठक में उपस्थित नही हो सके क्योंकि वे लोग कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति को सम्भालने मे लगे हुए थे। तथापि, उन्होंने बैठक में उपस्थित होने के लिए संबंधित अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

(II) दिनांक 5/5/2015 को, उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक की ओर से बैठक में उपस्थित जिन अधिकारियों के नाम ऊपर दिए गए हैं, ने अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्नलिखित दस्तावेजो की प्रतियाँ सौंपी।

(क) मामले पर रिपोर्ट मांगते हुए अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अ.शा. पत्र दिनांक 8/12/2014 की एक प्रति भिजवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, गुमला का पत्र।

(ख) पुलिस अधीक्षक, गुमला को प्रस्तुत की गई उपप्रभागीय पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट सं 418/15 दिनांक 30/04/2015।

(ग) मामले में पुलिस थाना विष्णुपुर, गुमला में दर्ज शिकायत की दिनांक 30/04/2015 की प्रथम सूचना रिपोर्ट।

(घ) खंड विकास अधिकारी, गुमला की उपायुक्त, गुमला को सौंपी गई दिनांक 01/05/2015 की रिपोर्ट।

(च) अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत की गई पुलिस अधीक्षक, गुमला की दिनांक 02/05/2015 की अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय नुकसान कारित होने/पारस्परिक निधि, बैंकिंग कम्पनियों/ गैर–बैंकिंग कम्पनियों इत्यादि में उन लोगों की निधियों को निवेश कर जनजातियों के साथ छल–कपट करने तथा बीमा/ पारस्परिक निधियों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के एजेंटों के संदेहजनक कार्यकलापों की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट।

(III) रिपोर्ट का निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से सूचित करता है कि कपटपूर्ण रूप से गरीब आदिम संवेदनशील जनजातीय समुहों के साथ बीमा एजेंटो तथा अधिकारियों द्वारा छल–कपट किया गया है, इस प्रकार इस अपराध की सी.आई.डी. द्वारा गहराई से जांच करने की आवश्यकता करता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सचिवालय, मुख्यालय, नई दिल्ली ने आगे की कार्रवाई करने के साथ–साथ मामले की जटिलता के कारण सी.आई.डी., झारखंड द्वारा मामले की जांच करने की सिफारिश करते हुए तथा गंभीरता के साथ विचार करने के लिए मामले को पुलिस अधीक्षक, गुमला के साथ प्राथमिकता के आधार पर उठाया । अतः पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मुख्यालय, नई दिल्ली से पत्राचार प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर मामले की प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले को अपर पुलिस महानिदेशक, झारखंड सरकार के साथ उठाये।

रामेश्वर उरांव

(डॉ. रामेश्वर उराँव)
अध्यक्ष

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली